कजोड़ सिंह vs घनश्यामसिंह (प्रा०पत्र)
मु० नं० 91/2023

22.11.2024

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पीतलिया बालाजी तहसील महवा की निम्नांकित आराजी खाता सं 10 के खसरा नम्बर 1054, 1055, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, कुल किता 8 कुल रकबा 2.11 हैक्टर व खाता सं. 11 के खसरा नम्बर 1012, 1016, 1017, 1034 कुल किता 4 कुल रकबा 1.84 हैक्टर व खाता सं. 12 के खसरा नम्बर 1013, 1014, 1015, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1032, 1033 कुल किता 11 कुल रकबा 3.36 हैक्टर में प्रार्थीगण का 1/4, 1/4 राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज है। आराजी का कानून बंटवारा नहीं हआ है। संयुक्त आराजी का मनवट के आधार पर बंटवारा कर रखा है जो पिता की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण चालाक किस्म के व्यक्ति है जो प्रार्थी की आराजी की डोलमेड तोडते रहते है। वाक्या दिनांक 04.09.2023 का है। प्रार्थीगण अपने खेत पर बोई हुई बाजरा की फसल की देखरेख करते गये थे वही पर मौजूद अप्रार्थीगण जो प्रार्थी की कब्जाशुदा आराजी की डोल काट रहे थे। प्रार्थीगण ने हाथ जोडकर विधिवत बंटवारा कराने की कहा तो साफ–साफ इन्कार कर दिया और झगडा करने पर उतारु हो गये। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया लेकिन बाबजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गईश्र।

हमने वकील प्रार्थी की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी उभय की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर सकता है जिससे प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से बाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम पीतलिया बालाजी तहसील महवा की निम्नांकित आराजी खाता सं 10 के खसरा नम्बर 1054, 1055, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, कुल किता 8 कुल रकबा 2.11 हैक्टर व खाता सं. 11 के खसरा नम्बर 1012, 1016, 1017, 1034 कुल किता 4 कुल रकबा 1.84 हैक्टर व खाता सं. 12 के खसरा नम्बर 1013, 1014, 1015, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1032, 1033 कुल किता 11 कुल रकबा 3.36 हैक्टर में प्रार्थीगण के हिस्सा तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, महवा
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Scanned with OKEN Scanner